

विषय:- न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू. पी. कमांक 14194/2007 डॉ. वर्षा मुकर्जी, प्रभारी उप संचालक, स्थानीय कार्यालय, जिला-भोपाल, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति किये जाने बाबत ।

डॉ. वर्षा मुकर्जी, प्रभारी उप संचालक, स्थानीय कार्यालय, जिला-भोपाल, ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में वेतन निर्धारण के संबंध में याचिका दायर की है। विषयांकित न्यायालय प्रकरण, में म.प्र. शासन सचिव, भोपाल, /आयुक्त स्वास्थ्य, को प्रतिवादी बनाया गया है। प्रकरण भोपाल जिले से संबंधित है ।

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई दिनांक ..... को नियत थी, / है। जिसमें शासन पक्ष की ओर से प्रतिरक्षण किये जाने एवं वादोत्तर समय-सीमा में प्रस्तुत किये जाने हेतु उप संचालक (कार्यालय स्थापना) स्थानीय कार्यालय, को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

प्रभारी अधीक्षक(लीगल)

DD (Legal) - N.A.

अनुमोदनार्थ एवं कोर्ट के सचिव प्रतियों मारफा की दृष्टा में हस्ताक्षर प्रस्तुत हैं तदुपरांत नसी प्रतिरक्षण कोर्ट के विधि विभाग को कोर्ट मारफा

DD (Legal)

Director (Legal)

विधि विभाग

संख्या क्र० 438-39, दि० 14/03/16

10/3/16  
संचालक  
स्वास्थ्य सेवाएं  
मध्यप्रदेश

विषय:- न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू. पी. कमांक 14194/2007 डॉ. वर्षा मुकर्जी, प्रभारी उप संचालक, स्थानीय कार्यालय, जिला-भोपाल, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति किये जाने बाबत ।

GOVERNMENT ADVOCATE



MADHYA PRADESH

Phone { Office : 2678740  
2678185  
Fax : 2621216

D. O. No. 4394/95

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL  
MADHYA PRADESH, JABALPUR

JABALPUR

Dated 6/4

COURT CASE-URGENT

To,

March 30, 2015

The Principal Secretary, Govt. of M.P.,  
Public Health & Family Welfare  
Vallabh Bhawan, BHOPAL.

2) The Commissioner, Health Services, BHOPAL.

Sub: - W.P. No. 14194/2007 (Dr. Varsha Mukherjee vs. State of M.P. & Others).

The aforesaid matter was listed before the Hon'ble Court on 25/3/2015 and the Hon'ble Court has granted two weeks time to file return in the matter.

The petitioner who is working as Assistant Surgeon by filing the present writ petition claiming salary for the period from 1/12/1984 to 31/12/1985, 1/4/1986 to 18/7/1986, 1/4/1991 to 30/4/1992 and from 10/2005 to till date.

You are therefore requested to appoint OIC and direct him to attend this Office immediately with all relevant records and para-wise comments for preparation of suitable and effective return, so that the same may be filed within time allowed by the Hon'ble Court failing which this Office shall not be held responsible for the consequences of any adverse order that may be passed by the Hon'ble Court. Kindly treat this as Most Urgent.

(AJAY SHUKLA)  
GOVERNMENT ADVOCATE

oic  
DD (OE) DH  
DD (Legal)  
DD (Legal)  
Dir (Legal)  
for  
for

**SIN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR**

**WRIT PETITION NO. OF 2007(S)**

**PETITIONER**

Dr. Varsha Mukherjee W/o Col.  
Kunal Mukherjee, Aged 54 years, By  
Occupation- Assistant Surgeon, At  
Present Incharge Deputy Director,  
Directorate of Health Services,  
Government of Madhya Pradesh,  
Satpuda Bhawan, Bhopal, Resident  
of E-2/8, Arera Colony, Bhopal.

**Versus**

**RESPONDENTS**

1. State of Madhya Pradesh  
**Through** the Secretary,  
Department of Public Health and  
Family Welfare, , Mantralaya,  
Bhopal
2. Commissioner Health/Director  
Health Services, Government of  
Madhya Pradesh, Bhopal.

**PETITION UNDER ARTICLES 226/227 OF THE CONSTITUTION  
OF INDIA**

1. **PARTICULARS OF THE PETITIONER**

As given in cause title above.

2. **PARTICULARS OF THE RESPONDENTS**

As given in the cause-title above.

*Del*

3. **PARTICULARS OF THE ORDER AGAINST WHICH PETITION IS MADE**

**Subject-matter in brief**

By the instant petition, the petitioner is claiming her salary for the periods from 1.12.1984 to 31.12.1985; 1.4.1986 to 18.7.1986; 1.4.1991 to 30.4.1992 and from 1.10.2005 to till date i.e. 30.9.2007 =. total for 52 months and 18 days and a future salary per month which have not been paid to the petitioner illegally, arbitrarily and mala fide.

[4] **DELAY IN FILING THE PETITION, IF ANY:**

There is no delay in filing the petition.

[5] **FACTS OF THE CASE:**

The facts of the case are given below:-

- 5.1 That, the petitioner is the citizen of India holding the civil post, hence competent to invoke the writ jurisdiction of this Hon'ble Court. She has obtained a degree of M.B.B.S. from Gandhi Medical College, Bhopal.
- 5.2 That, the petitioner was initially appointed on the post of Assistant Surgeon on *ad hoc* basis vide order dated 29.8.1984 and was posted at Gwalior. In pursuance to the said order, the petitioner joined on 29.9.1984 and since then performing her duties with utmost devotion, sincerity and honesty. She holds an unblemished meritorious service record. Later on, her appointment was regularized and was also confirmed w.e.f. 6.10.1989. The relevant order, <sup>and relevant portions of Gwalior List-2</sup> are filed herewith as **Annexures P/1 and P/2.**
- 5.3 That, though the petitioner joined at Gwalior, but she was not paid her salary saying that the post was not available at Civil Hospital, Morar, Gwalior where she was posted. The petitioner then submitted the representation for payment of her salary.

*Devi*

Thereafter the direction was issued to draw the salary from the other places but of no consequence. Thereafter another letter was issued by respondent no.2 on 7.2.1986, and also on 2.5.1986 and salary was paid for 2-3 months, but nothing was paid from 1.12.1984 to 31.11.1985 and thereafter also from 1.4.1986 to 18.7.1986. This correspondence is filed herewith as **Annexures P/3, P/4, P/5, P/6 and P/7.**

5.4 That, later on the petitioner was transferred from Gwalior to Sultania Hospital, Bhopal and was relieved on 18.7.1986 and she joined there in pursuance to the said order. Thereafter, she has again made a representation on 30.10.1986 for payment of her salary, the respondent no.2 then wrote to the Joint Director, Health Services, Rewa to draw her salary from some hospital on 31.10.1986. Again it was written to him on 31.3.1987 and on 5.5.1987 but of no consequence. The relieving order from Gwalior and the representations are filed herewith as **Annexures P/8, P/9, P/10, P/11 and P/12.**

5.5 That, thereafter the petitioner was again required to make a representation on 29.6.1987, but met with the same fate. Thereafter she has made a representation in the month of December, 1987 and the Superintendent, Sultania Hospital, Bhopal wrote to the Chief Medical and Health Officer, Satna to draw her salary vide letter dated 9.12.1987, but in vain. Thereafter, the Joint Director, Rewa also wrote to the Chief Medical Officer, Satna, to draw the salary vide letter dated 1.1.1988, but in vain. The representations and the letters are filed herewith as **Annexures P/13, P/14, & P/15.**

5.6 That, the petitioner then again submitted the representation on 30.4.1988 to the Chief Secretary, Government of M.P., Bhopal to intervene in the matter so that she may get her salary and it seems that some direction was issued to respondent no.2 to do the needful and therefore a letter was issued on 4.5.1988 to the Superintendent, Sultania Hospital, Bhopal to do the needful. The

*Done*

said Supdt also wrote to the petitioner to submit an undertaking which was submitted by her but thereafter also no payment has been made to her except a letter of the Joint Director, Rewa dated 17.5.1988. This correspondence is also filed herewith as **Annexures P/16, P/17, P/18, and P/19.**

- 5.7 That, thereafter, the petitioner again made a representation on 7.6.1988, but without any result except letter written by the Supdt. to the Deputy Secretary of the Department dated 14.6.1988. Thereafter, respondent no.2 wrote to the Supdt., Training Institute, Gwalior asking to send her Last Pay Certificate meaning thereby that it was all avoided because on one pretext or the other. The petitioner then served a legal notice on 15.2.1990 asking to make the payment of the salary, but it could not evoke any response except a letter of the C.M.H. O, Gwalior that his office is not responsible for the payment. Thereafter, the representations were submitted on 10.2.1994, 18.4.2002 and 16.9.2004, but in vain. This correspondence is filed herewith as **Annexures P/20, P/21, P/21, P/22, P/23, P/24, P/25, P/26, P/27 AND P/28.**

- 5.8 That, in the meanwhile, the petitioner was sent for Post Graduate Diploma to Rewa Medical College, but the salary of this period was also not paid from 1.4.1991 to 30.4.1992 i.e. of 13 months. She was mid-way transferred to Sultania Hospital, Bhopal and she had to carryout the order and could not complete her diploma course. Thereafter she was posted at Bhopal and then Red Cross Society, Bhopal in August 1994 and ultimately in October, 1999, she is posted at present place. She is all along representing His Excellency Governor of M.P., Additional Secretary, Human Resources Department, Government of India, New Delhi, the learned Minister of the Department, but all in vain. She is also not paid non-practicing allowance and the increments and the petitioner has already represented for the same, but in vain.
- 22/11*

5.9 That, all of a sudden, again the payment of the salary of the petitioner was stopped w.e.f. 1.10.2005 without any reason for which she has made representations on 4.8.2006 and on 4.4.2007, which have gone into deaf ears and the petitioner all along running from pillar to post for her arrears of salary and the regular salary, though she is performing her duties all along. The representations are filed herewith as Annexures P/29, and P/30. In such a situation, the petitioner is not left with any option but to approach before this Hon'ble Court, hence this petition.

6. **GROUND'S URGED:**

- A. That, the petitioner humbly submits that inaction on the part of respondents of not making the payment of her salary is totally illegal, arbitrary and mala fide
- B. That, it is further humbly submitted that looking to the material on record, it is quite clear that the petitioner is being harassed for the reasons best known to the respondents, particularly, respondent no.2, who is bent upon to see that the petitioner may not get her salary. In all her service period, she has only seen harassment, humiliation and demoralization at the hands of respondent no.2, otherwise there is no reason for non payment of her salary.
- C. That, it is further humbly submitted that the petitioner is suffering because of whims of respondents as at any time her salary is being stopped and she is being made to suffer. It is surprising that neither she is being paid her salary nor the non-practicing allowance <sup>Karamanna, Prof. Dr. 2</sup> and increments are also not allowed since long.
- D. That, it is further humbly submitted that the petitioner is making repeated representations, but they are being thrown in the dust bin.

12/11/07

- E. That, under these circumstances, it shall be just and proper for this Hon'ble Court to command the respondents to pay the petitioner her salary with interest at the rate of 24% per annum and also to pay her regular salary per month by issuance of an appropriate writ and or direction.

7. **RELIEFS SOUGHT**

In view of the above facts and circumstances, the petitioner, therefore, humbly prays for grant of following reliefs:

- (i) To call for the records for the satisfaction of the Hon'ble Court.
- (ii) To command the respondents to pay the salary of the petitioner for the period from 1.12.1984 to 30.11.1985, 1.4.1986 to 18.7.1986, 1.4.1991 to 30.4.1992 and 1.10.2005 to 30.9.2007 i.e. for 52 months and 18 days with interest at the rate of 24% per annum by issuance of an appropriate writ and or direction.
- (iii) To command the respondents to pay to the petitioner the amount of non practicing allowance which is not paid to her since 1999 with all arrears and interest at the rate of 24% per annum by issuance of an appropriate writ and or direction.
- (iv) To command the respondents to allow yearly increments to the petitioner and accordingly fix her salary year to year basis and to pay all the arrears with interest at the rate of 24% per annum by issuance of an appropriate writ and order. *2- Kramonnati pay scale*
- (v) Any other relief which this Hon'ble Court may deem just and proper in the circumstances of the case be also granted in favour of the petitioner along with cost of this petition.

8. **INTERIM RELIEF, IF ANY, PRAYED FOR**

The petitioner humbly prays that this Hon'ble Court may kindly be pleased to issue an ad interim writ commanding the respondents to pay to the petitioner all the amount of arrears of her salary forthwith and to make the payment of monthly salary regularly till the

*Per*



7

disposal of the instant petition to save the petitioner from further harassment, humiliation, and demoralization.

9. **MATTER NOT PREVIOUSLY FILED OR PENDING**

The petitioner declares that subject-matter of case regarding which the instant petition has been filed is not pending in any other Court of law, or Tribunal.

10. **REMEDIES EXHAUSTED**

The petitioner further declares that there is no other alternative efficacious remedy except to file the instant petition for redressal of his grievance.

11. **LIST OF ENCLOSURES AS PER RULE 10 & (D)**

As per index.

An affidavit in support of this petition is filed herewith.

Jabalpur/30.9.2007

  
(D.K. Dixit)

Counsel for petitioner

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR**

**WRIT PETITION NO. \_\_\_\_\_ OF 2007(s)**

**Petitioner**

Dr. Varsha Mukherjee.

**Versus**

**Respondents**

State of M.P. and another.

**AFFIDAVIT**

I, Dr. Varsha Mukherjee V/o Col. Kunal Mukherjee, Aged 54 years, Occupation- Assistant Surgeon, AtPresent Incharge Deputy Director, Directorate of Health Services, Government of Madhya Pradesh, Satpuda Bhawan, Bhopal, Resident of E-2/5, Arera Colony, Bhopal. do hereby state on oath as under:

1. That, I am the petitioner in the enclosed petition and as such well conversant with the facts of the case. The petition has been drafted by the counsel and filed on my instructions.
2. That, the contents of accompanying petition from paras 1 to 11 are true to my personal knowledge and belief. I have also gone through it.
3. That, the documents annexed with the enclosed petition are true and photo copies of the originals.

*V. Mukherjee*

DEPONENT

**VERIFICATION**

I, Dr. Varsha Mukherjee, the above named deponent do hereby verify that the contents of this affidavit as contained in paras 1 to 3 are true and correct to my personal knowledge and belief.

Verified at Jabalpur on 30th Sept., 2007.

*V. Mukherjee*

DEPONENT

१

२।  
A

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्य प्रदेश

क्रमांक।जी/सेल-2/तदर्थ/84/ 1850-6-82  
भोपाल 29, अगस्त, 1984  
आ दे श  
=====

सूची में दर्शाए अनुसार महिला उम्मीदवारों को सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर अस्थाई रूप से तदर्थ नियुक्ति में प्रो चिकित्सा सेवा द्वितीय श्रेणी में रुपये 1000-1920 वेतनमान में रुपये 1000 एक हजार रुपये मासिक वेतन एवं भत्ते पर छः 6 माह के लिये या लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये गये उम्मीदवार उपलब्ध होने तक इसमें जो भी पूर्व हो उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से जो इस आदेश प्राप्त के दिनांक से इस दिन हो नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सामने दर्शाए स्थान पर पदस्थ किया जाता है।

2/ यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ अस्थाई है और दोनों तरफ से एक माह का नोटिस या नोटिस के बदले एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर बिना कोई कारण बताये किसी भी समय सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।

3/ उपस्थिति देते समय संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समस्त मूल प्रमाण-पत्र दर्शाने के परवाह तथा उनके द्वारा समाधान होने पर कार्य पर लिया जावेगा।

संचालक चिकित्सा सेवाएँ  
मध्य प्रदेश

क्रमांक।जी/सेल-2/तदर्थ/84/ 1850-5-82  
भोपाल दिनांक 29 अगस्त, 1984

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित :-  
1- सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।

2- सम्भावित संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ बिलासपुर/ इन्दौर/ भोपाल/ जबलपुर/ रायपुर/ ग्वालियर।

3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़/ बैतुल/ बिलासपुर/ छिन्दवाड़ा/ धार/ सरगुजा/ नरसिंहपुर/ रोवा/ राजनांदगाँव/ विदिशा/ होशंगाबाद/ मंडला/ शिवपुरी/ झाबुआ/ ग्वालियर/ भोपाल।

4/ संबंधित डाक्टर (संयुक्त) - 2/10-अद्वैत

5/ टी.पी.सेल/ संबंधित सेल

08/08/84  
संचालक चिकित्सा सेवाएँ  
मध्य प्रदेश

बिसौरे  
29884

-- 2 --

महिला सहायक शल्य चिकित्सकी की सूची

=====

क्रमिक उम्मीदवारों का नाम	पदस्थानों का स्थान
1	2
1- डा. श्यामला तामकर	प्रा. स्वा. के. हरई ॥ छिन्दवाडा ॥
2- डा. श्रीमती राजकुमारी पालीवाल	प्रा. स्वा. के. बतौली ॥ सरगुजा ॥
3- डा. नीलिमा शर्मा	प्रा. स्वा. के. लौरमी ॥ बिलासपुर ॥
4- डा. कु. शोभा चौहान	प्रा. स्वा. के. सरदारपुर ॥ धार ॥
5- डा. श्रीमती दीपा भार्गव	प्रा. स्वा. के. प्रभातपट्टम ॥ बैतुल ॥
6- डा. कु. हर्षा कपूर	प्रा. स्वा. के. गोटेगाँव ॥ निरससिंहपुर ॥
7- डा. कु. बसन्ती देशमुख	सि. जलताल बारासिंहनी ॥ बालाघाट ॥
8- डा. श्रीमती ज्योतिमयी त्रिपाठी	प्रा. स्वा. के. सारंगगढ ॥ रायगढ़ ॥
9- डा. श्रीमती वीणा कुमरा	प्रा. स्वा. के. मगीव ॥ रोवा ॥
10- डा. श्रीमती उर्वशी सक्सेना	प्रा. स्वा. के. उर्वर्धा ॥ राजनादगाँव ॥
11- डा. सुजाता श्रीवास्तव	सि. डि. भैसदेहो ॥ वैतुल ॥
12- डा. सुरेखा गोविंदजी वाला	प्रा. स्वा. के. झालवा ॥ छडवा ॥
13- डा. कु. स्वर्णलता बक्शी	जिल. चिकित्सालय सोहोर ॥ सोहोर ॥
14- डा. श्रीमती सुलेखा त्रिवेदी	मोल्डू हेल्थ सेन्टर नेनपुर ॥ मंडला ॥
15- डा. श्रीमती नीलिमा जैन	प्रा. स्वा. के. टिगरनी ॥ होशंगाबाद ॥
16- डा. मधुलिङ्गा सिंह	प्रा. स्वा. के. बिछुआ ॥ छिन्दवाडा ॥
17- डा. श्रीमती छाया शर्मा	प्रा. स्वा. के. नरवर ॥ शिवपुरी ॥
18- डा. मधुपाहवा	प्रा. स्वा. के. पेटलावद ॥ झाबुआ ॥
19- डा. शींदरा त्रिपाठी	प्रा. स्वा. के. भाडिरे ॥ ग्वालियर ॥
20- डा. श्रीमती वर्षा भुवर्जी	सि. जस. गुरार ॥ ग्वालियर ॥
21- डा. श्रीमती उज्ज्वला काले	सि. जस. गुजालपुर ॥ गाँजापुर ॥
22- डा. श्रीमती सी. बुधवानी	प्रा. स्वा. के. वैरसिया ॥ भोपाल ॥

08/11/2021  
 कृते अवालक चिकित्सा सेवाएँ  
 मध्य प्रदेश

=====

10

12

# DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES

Department of Public Health & Family Welfare  
Madhya Pradesh

Final Gradation List of Medical Officers as on 01-04-2006

1122

11

Provisional Serial Grade No.	NAME	SEX	CAST	DATE	PG QUALIFICATION	PG YEAR	HONORARY DISTRICT	DOJ SERV	PSC Year	PSC NUMBER	CONFIRM DATE	Present Pay Scale	DISTRICT OF POSTING	PLACE OF POSTING	Remarks
1332	DR. GOPAL SINGH PAINKRA	M	SC	5	23-Jun-1954	6	8	9	10	11	12	13	14	14	15
1333	DR. B.P. SHARMA	M	GEN	19-Jun-1958	Dip(Cyber)	1991	VIDISHA	14-Jun-1994	1987	1097	06/10/1989	8000-275-13500	VIDISHA	CHC GYALASPUR	
1334	DR. K.P. NAG	M	SC	2-Jun-1950			OTHER	15-Jun-1984	1987	1742	06/10/1989	8000-275-13500	TIKANGARH	CHC PRATHIPUR	
1335	DR. M.R. VASNIK	M	SC	9-Mar-1953			BALAGHAT	16-Jun-1984	1987	1099	06/10/1989	8000-275-13500	SEONI	D.H.	
1336	DR. PRAKASH KIVAVAT	M	GEN	3-Jun-1956			GWALIOR	16-Jun-1984	1987	1098	06/10/1989	8000-275-13500	DHAR	CHC DHANOD	
1337	DR. AJAYPAL SINGH	M	GEN	11-Jun-1954			REWA	21-Jun-1984	1987	1100	06/10/1989	8000-275-13500	SIDHI	CHC MODIYA	
1338	DR. PURSHOTTAM BUNKAR	M	SC	10-Nov-1957			GUNA	26-Jun-1984	1987	1102	06/10/1989	8000-275-13500	ASHOKNAGAR	CHC SHADORA	
1339	DR. RAMESH KUMAR YADAV	M	SC	22-Nov	DCH	1994	DEWAS	3-Jul-1984	1987	1104	06/10/1989	8000-275-13500	DEWAS	D.H.	Promoted Dt. 03.06.2006
1340	DR. SMT. VINAY MOURY	F	SC	23-Apr-1958			GWALIOR	9-Jul-1984	1987	1105	06/10/1989	8000-275-13500	GWALIOR	MENTAL HOSPITAL	
1341	DR. PRABHAKAR NANWARE	M	GEN	22-Jul-1958			INDORE	30-Jul-1984	1987	1106	06/10/1989	8000-275-13500	INDORE	INDORE	
1342	DR. V.C. AHIRWAR	M	SC	31-Jul-1954			GWALIOR	31-Jul-1984	1987	1109	06/10/1989	8000-275-13500	CHHINDWARA	CHHINDWARA	
1343	DR. KISHOR KUMAR	M	SC	7-Jul-1956			JABALPUR	31-Jul-1984	1987	1107	06/10/1989	8000-275-13500	HARDA	CHC KHIRKIYA	
1344	DR. SANJAY BHATKAR	M	SC	3-Jul-1957	Dip(N T)	1984	BALAGHAT	6-Aug-1984	1987	1110	06/10/1989	8000-275-13500	CHHINDWARA	CHHINDWARA	Absent
1345	DR. HARIRAM AHIRWAR	M	SC	16-Jun-1956			INDORE	7-Aug-1984	1987	1112	06/10/1989	8000-275-13500	VIDISHA	POST EPROSY OFFICER	
1346	DR. N.R. AZAD	M	SC	5-Jul-1957			TIKANGARH	8-Aug-1984	1987	1113	06/10/1989	8000-275-13500	BHOPAL	JAIL HOSPITAL	
1347	DR. BHURENDRA KUMAR VERMA	M	SC	30-May-1953			KHARGONE	13-Aug-1984	1987	1114	06/10/1989	8000-275-13500	KHARGONE	CHC KARIO PURA	
1348	DR. P.D. KARGAIYAN	M	SC	17-Feb-1957			GWALIOR	13-Aug-1984	1987	1115	06/10/1989	8000-275-13500	DATTA	CHC BHANDER	
1349	DR. DHANRAM BRAHME	M	SC	27-Sep-1957	Dip(Anaesthesia)	1994	DURG	13-Aug-1984	1987	1116	06/10/1989	8000-275-13500	BALAGHAT	D.H.	
1350	DR. R.L. KUSHATWAR	M	SC	1-Oct-1960	Dip(Parental) MSCE (N T)	1993, 1994	GWALIOR	13-Aug-1984	1987	1117	06/10/1989	8000-275-13500	VIDISHA	VIDISHA	
1351	DR. K.S. SAGAR	M	SC	26-Jun-1958			OTHER	13-Aug-1984	1987	1118	06/10/1989	8000-275-13500	BALAGHAT	CHC KHER LANZI	
1352	DR. S.C. AHIRWAR	M	SC	20-Dec-1958			DATTA	13-Aug-1984	1987	1119	06/10/1989	8000-275-13500	SEHORE	CHC LAADKUI	
1353	DR. GUNARAM KAMDE	M	SC	7-May-1955			BALAGHAT	17-Aug-1984	1987	1122	06/10/1989	8000-275-13500	BALAGHAT	CHC BAHNDER	
1354	DR. SMT. VARSHA MUKHERJEE	F	GEN	27-Jul-1957			BHOPAL	28-Aug-1984	1987	1120	06/10/1989	8000-275-13500	BHOPAL	BHOPAL	
1355	DR. SMT. CHHAYA SHARMA	F	GEN	26-Aug-1960	MS(Gyna&Obst)	1993	GWALIOR	26-Aug-1984	1987	1124	06/10/1989	8000-275-13500	GUNA	D.H.	
1356	DR. M.K. CHANDEL	M	SC	16-Apr-1955			HOSHANGABA	31-Aug-1984	1987	1125	06/10/1989	8000-275-13500	HOSHANGABA	CHC BANHEDI	
1357	DR. MADAN MOHAN SHAKYA	M	SC	1-Feb-1954			BIEND	3-Sep-1984	1987	1126	06/10/1989	8000-275-13500	DATTA	CHC BHANDER	
1358	DR. SUREKHA PUNEWALA	M	GEN	6-Jul-1954	MS(Gyna&Obst)	1993	BHOPAL	9-Jun-1984	1987	1128	06/10/1989	8000-275-13500	BETUL	D.H.	Absent
1359	DR. VEENA KUMARA	F	GEN	26-Jun-1956	Dip(Gyna&Obst)	1983	GWALIOR	10-Sep-1984	1987	1131	06/10/1989	8000-275-13500	SHIVPURI	SHIVPURI	
1360	DR. M.C. VERMA	M	SC	14-Dec-1956			BARWANI	14-Sep-1984	1987	1132	06/10/1989	8000-275-13500	BADWANI	CHC CHANPUL	
1361	DR. K.S. RAIPUT	M	GEN	27-Feb-1957	MS(Surgery)	1995	RAISEN	13-Mar-1984	1987	1068	06/10/1989	8000-275-13500	NAKSIHUPUR	D.H.	

From : Dr (Mrs) Varsha Mukerjee MBBS  
Asst Surgeon

Civil Hospital  
Morar, Gwalior

To : Director of Health Services  
MP, Nagpur

Oct 85

Sub : Non payment of salary

Sir,

1. With due respect I beg to inform you that I have been posted to the civil hospital, Morar wef. 1 Sep 84. However, I have not been paid any salary after Nov 84.

2. I request you to look into the matter and do the needful, so that my pay from Dec 84 to Sep 85 can be drawn at the earliest.

Yours faithfully,

V. Mukerjee.

(13) (S) (C) P.4  
4

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES  
MADHYA PRADESH

No. I/G/c-5/85 12021-8 Bhopal, Dated 11th Nov 85

To,

The Chief Medical & Health officer  
Gwalior

Sub :- Reg. regularisation and payment of salary of excess  
doctors at Gwalior

Please refer to your letter No. Estt/85/24690; dated  
11.10.85 on the above subject.

You have sent a list of 19 doctors who are in excess  
under your administrative control in Gwalior district. The  
payment of the following doctors can be drawn against the vacant  
posts in Morena district until further orders. The places are  
shown against each.

1. Dr U.C. Jain Hemsingh Ki Parad - MPHC Parikshitpur  
(Morena)
2. Dr Smt. Varsha Mukerjee C.H. Morar - MPHC Wara (Morena)
3. Dr G.C. Khanwilkar C.H. Morar - MPHC Jouha (Morena)
4. Dr Smt. Vijaya Arora C.D. Phalka - MPHC Deogarh (Morena)  
Bazar

For remaining excess doctors further instructions  
are being issued separately.

sd/-

For / Director of Medical Service  
Madhya Pradesh

OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER Gwalior

No. / Estt. / G/85 27402-2 Gwl. dated 29/11/85

Copy to :-

1. Dr. U.C. Jain Hemsingh Ki Parad C.H. Gwalior
2. Chief Medical & Health officer Morena for necessary action
3. Dr. Smt. Varsha Mukerjee C.H. Morar
4. Dr. G.C. Khanwilkar C.H. Morar
5. Dr. Smt. Vijaya Arora C.D. Phalka Bazar Gwl.

For information



(16)

~~(17)~~

5

(2)

6. Acctt. Section for information & Necessary action.

Chief Medical & Health Officer

Distt. Gwalior(M.P.)

P.S.  
6

2011.4.27. 1985

श्री मुख्य निदेशिका का आदेश उद्दिष्टी  
विषय सुरक्षा (नॉट)

संकेत : संपाल १० लम - स्त्री. लेखन / मध्य  
नेपाल - कुमाँ, ॥ डी/सी/एस/२०२१-९  
चल - ११-१५-८५

[illegible]

(3) १. शोधनी कक्षा प्रकृति ६६८

संलग्न : ५

प्रतिष्ठापितः :-

(1) प्र. सु. सी. ०७७, आतिथी द्वारा साव.  
आतिथी!

✓ (क) मा. प्रो. गान्धी विद्यापीठ पुणे, महाराष्ट्र

(5) (16) (F) PC

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES  
MADHYA PRADESH.

No. I/G/C-5/86/ 1192-2 Bhopal, dated 7th Feb. 86.

To,

The Joint Director of Health Services,  
Gwalior.

Sub :- Regarding payment of excess doctors,  
posted at Gwalior.

....

The following doctors are working in proper  
Gwalior and they are in excess and they are not getting  
their pay.

1. Dr. Smt. Varsha Mukerjee, C.H. Morar.
2. Dr. O.P. Saxena, Poly Clinic, Gwalior.
3. Dr. Ku. Sujata Monga, J.A. Hosp. Gwalior.

You are requested to please draw the salary  
of aforesaid doctors against the vacant posts of Class I  
recently sanctioned by the Government vide order No.  
F-9-63/85/17/Med.-3 dated 19.12.85 for Tribal Area  
Mohana (Distt. Gwalior) ( Sanctioned posts - Surg.-1,  
Med.-1, Paed.-1 and Gyn.-1)

Action taken by you may please be intimated  
accordingly.

ep 4.5.86  
Joint Director,  
For/Director of Medical Services,  
Madhya Pradesh.

Sms  
7/2

⑨ 12

## महाय कुंभेरा

क्रमांक 1-जी/सेन-3/86/4460-G भविष्य, दिनांक:- 2.5.86.

संभागीय समुदास संवालय,  
स्वास्थ्य सेवाएं, आवास,  
संभाग, आवास ।

विषय:- डा०बीमती वर्मा कुर्चो, डा०बी०पी०बबईना, तथा डा०कु०कुमाता  
मौगा के वेतन आहरण बाबत ।

संदर्भ:- कुथया इल कायलिय का रत रुमाक 1-जो/तेन-2/86/1192-जी  
पिनकि 7-2-86 का कयमाक करे ।

उपरोक्त विषय में ज्ञात है कि निम्नलिखित विधिकरणों का ज्ञान वादकन शासन द्वारा जादिवानी से मोड़ना जिला स्थानियर के लिए स्वीकृत प्रथम वेणी अधिकारियों के रिक्तियों के विरुद्ध किया जाये । स्वीकृत नव-सचिवन स्वीकृत -

१५. मैडिकल स्टाफमें-१, पोस्टाद्वारिक-१ तथा गावनाडीमाफमें-१ ।  
१६. डाकघरों की संख्या-१ ।

१/ कठोपीमता वना मुज्जा, तिष्ठतामुत्तर ।

2/ डा०बी०पी०अक्षेना, पौष्पिकजनिक, खासियर ।

3A ७०५० मुजाला मोगा, ७०५० हा लीडन, स्थानियर ।

तत्काल सुचित करें। साथ ही उपरोक्त तीनों विधिकरणों को माहिना में कब्जे में लेना जा रहा है। इनका पूर्व का रोज वेतन कम से कम एक सप्ताह का बाहरण कर देना है तत्काल सुचित करें ताकि इनके रोज वेतन अन्य स्थान से बाहरण करने हेतु व्यवस्था की जाये।

सूचे संघासक विधिकरता सेवाएं

## मध्य प्रदेश

भाषा, विनाय:-

२०७५१६ १-जी/सेव-५/८६

**वृत्तिविधि:-**

मुख्य विकित्ता एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्थानिय ।

2/ संयुक्त संस्थानक एवं जमीन, 30/08/54 लाटव, ग्वाल्हिर ।

५१/ लघुमलक विधित्ता सेवाये

मह्य प्रमाण

9 ✓

(18)

(18)

(H) 13

वर्षात्म मुख्य विधित्ता एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वातिमर (मोप्रो)

क्रमांक/था०/८६

ग्वातिमर / दिनांक

प्रति,

डा० श्रीवर्ती वर्मा मुकर्जी

सहायक राज्य विधित्सक

सि० डा० मुरार

विषय :- वर्षा मुक्त के संबंध में ।

संचालात्म स्वास्थ्य सेवाओं मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक 1-जी/सेल/८६/६३४४-६५०३ दिनांक 10-7-88 के अनुसार आपका स्थानान्तर सि० डा० मुरार से सुतलानिया अस्पताल भोपाल में जेल के कारण आपसे यह दिनांक 18-7-86 को दोपहर बाद कार्यमुक्त किया जाता है ।

मुख्य विधित्ता एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वातिमर

क्रमांक/था०/८६ 9302-6

ग्वातिमर / दिनांक 18-7-86

प्रतिलिपि

- 1/ संचालात्म स्वास्थ्य सेवाओं भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 2/ समुक्त संचालात्म स्वास्थ्य सेवाओं ग्वातिमर की ओर सूचनार्थ ।
- 3/ जयिका सुतलानिया अस्पताल भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4/ मेडिकल ऑफिसर सि० डा० मुरार की ओर सूचनार्थ ।
- 5/ जनक सेक्शन स्थानीय वर्गात्म की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

मुख्य विधित्ता एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वातिमर

(M) (SG)

PJ  
I 14

From, Dr. (Mrs) Varsha Mukerjee,  
Assistant Surgeon,  
Sultania Zanana Hospital,  
Bhopal.

To, The Director of Medical & Health Services,  
Madhya Pradesh,  
Bhopal.

Subject: Non-payment of Salary

Sir,

I have recently been transferred from Civil Hospital Morar, Cwailon to Sultania Zanana Hospital Bhopal as an Assistant Surgeon. During my posting at Civil Hospital Morar (Cwailon) I have not been disbursed salary for the period 1st. December '84 to 30th. November '85 and from 1st. April '86 to 18th. July '86 (Total 15 months and 18 days). Arrangements may kindly be made to get the salary for the above period drawn and paid to me early as it is causing lot of financial problems for me.

Yours faithfully,

V. Mukerjee

Bhopal  
Dated 23-10-86.

Dr. (Mrs) Varsha Mukerjee,  
Assistant Surgeon.

20

57

5 15

P-10

संघालनालय स्वास्थ्य सेवाये,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक-1-जी/सल-5/86/

/मोपाल, दिनांक

प्रति,

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाये,  
रीवा संभाग, रीवा ।

विषय:- वेतन आहरण बाबत-डा.ओमीमती वर्मा मुकुर्जी, महिला सहायक  
शल्य चिकित्सक, सुलतानिया जनाना अस्पताल, मोपाल ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि डा.ओमीमती वर्मा मुकुर्जी, महिला  
सहायक शल्य चिकित्सक, सुलतानिया जनाना अस्पताल, मोपाल में कार्यरत  
है का पूर्व पदस्थापना स्थान सिलिल अस्पताल, मुराह, जिला ग्वाल्ियर  
जहां वे अतिरिक्त में कार्यरत थीं का । दिसम्बर 84 से 30 नवम्बर 85,  
। अर्थात् 86 से 18 जून 86 कुल 15 माह 18 दिन का वेतन आहरण  
किया जाना है । वेतन आहरण के अभाव में उन्हें अन्यत्र कठिनाई का  
सामना करना पड़ रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधिनस्थ गैर आदिवासी  
क्षेत्र की चिकित्सा संस्था में उक्त अधि में यदि सहायक शल्य चिकित्सक  
का पद रिक्त हो तो संघालनालय को अवगत कराया जावे जिससे कि  
प्रकरण के निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा सकें । प्राप्त  
जानकारी के अनुसार प्रा.स्वा.के.देवराजपुर, जिला सतना में त.आ.चि.0  
का पद काफी समय से रिक्त है । यदि यह स्थान आदिवासी क्षेत्र के  
अन्तर्गत न आता हो तो उक्त रिक्त पद के विरुद्ध वेतन आहरण करने  
प्रस्ताव अपने अभिमत सहित भेजने का कष्ट करें ।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जावे ।

संयुक्त संचालक,  
कुले/संचालक चिकित्सा सेवाये,  
मध्यप्रदेश

पृ०१० 1-जी/सल-5/86/ 13758-60-6 /मोपाल, दिनांक 31-10-86  
प्रतिभाष:- सुपचार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अज्ञेयित:-

- 1/- अधीक्षक, सुलतानिया जनाना अस्पताल, मोपाल ।
- 2/- डा.ओमीमती वर्मा मुकुर्जी, महिला सहायक शल्य चिकित्सक,  
सुलतानिया जनाना अस्पताल, मोपाल की और उनके आवेदन  
पत्र दि० 23-10-86 के संदर्भ में ।
- 3/- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना ।

कुले/संचालक चिकित्सा सेवाये

(21) (28)

P11

संघानालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्य प्रदेश

(K) 16

क्रमांक 1/जी/सल-5/87/

मोबास, दिनांक:-

प्रति,

संभागीय संयुक्त संघालक,  
स्वास्थ्य सेवाएँ, रीवा संभाग,  
रीवा ।

विषय:- डा. अमीमती वर्मा मुकर्जी, महिला सहायक शल्य चिकित्सक, तुलता निवा  
जनाना अस्पताल, मोबास के वेतन आहरण बाबत ।

संदर्भ:- आम्का पत्र क्रमांक-स्था/मि०/86/ 7179, दिनांक 10-12-86.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह है कि डा. अमीमती वर्मा मुकर्जी, महिला  
सहायक शल्य चिकित्सक, तुलता निवा जनाना अस्पताल, मोबास का माह दिसम्बर 84  
में 30 नवम्बर 85 एवं 1 अक्टूबर 86 से जुलाई 86 तक का वेतन आहरण आपके संदर्भित  
पत्र में दिये अनुसार तिथि दिनांक 01 अक्टूबर, जिला सतना के रिक्त पद निकाले जाने  
हेतु सी०एम०ओ सतना को निर्देश देने का पत्र करें ।

कृपया की गई कार्यवाही से संघानालय को अवगत कराया जावे ।

संयुक्त संघालक  
रुते/संघालक चिकित्सा सेवाएँ,  
मध्य प्रदेश

पु०पु० 1-जी/सल-5/87/ 1143-45-T /मोबास, दिनांक 31-3-87

प्रतिनिधि:-

1/- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना की ओर सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रिभित । कृपया डा. अमीमती वर्मा मुकर्जी, महिला सहायक  
शल्य चिकित्सक का वेतन आहरण सि०डि०ओ०सु० के रिक्त पद से आहरित करने की  
कार्यवाही करें ।

2/- अधिक, तुलता निवा जनाना अस्पताल, मोबास की ओर संघानालय  
के पु०पु० 1-जी/सल-5/86/13558-60-जी, दिनांक 31-12-86 के संदर्भ  
में भेजकर लिखने में आता है कि डा. अमीमती वर्मा मुकर्जी, महिला चिकित्सक के वेतन  
संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जावे । (सु० 31/12/86) तथा 31/12/86  
3/1 डा. अमीमती वर्मा मुकर्जी, महिला सहायक शल्य चिकित्सक, तुलता निवा  
जनाना अस्पताल, मोबास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

रुते/संघालक चिकित्सा सेवाएँ,  
मध्य प्रदेश



22

P 12

(L) 18

कार्यालय अधीक्षिका,  
मुल्तानिया जनाना चिकित्सालय,  
मोपाल ।

क्रमांक 2644-47/स्था-1/87.

दिनांक 5-5-87.

प्रति,

संभागीय संयुक्त संचालक,  
स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग,  
इ।स। 110900।

विषय:- डा० श्रीमती वर्धा मुखर्जी सहायक गल्य चिकित्सक मुल्तानिया जनाना चिकित्सालय  
मोपाल के वेतन आहरण बाबत ।

संदर्भ:- पृष्ठठाकण क्रमांक 1-जी/सेल-5/87/1143-45-7, दिनांक 31-3-87.

उपरोक्त विषय संघ संदर्भ में पाहरी गई जानकारी डा० श्रीमती वर्धा मुखर्जी  
सहायक गल्य चिकित्सक मुल्तानिया जनाना चिकित्सालय, मोपाल के दिनांक 23-7-86  
से उपस्थिति हुई एवं उपस्थिति दिनांक से ही इनका वेतन आहरण कर रहे हैं । इसके  
पुर्व दिनांक 84 से 30 नवम्बर 85 एवं अप्रैल 86 से जुलाई 86 तक का किसी प्रकार का  
कोई वेतन आहरण नहीं किया गया है ।

अधीक्षिका,  
मुल्तानिया जनाना चिकित्सालय,  
मोपाल ।

प्रतिलिपि:-

- 1- सी०एम०जी०ततना म०प्र० ।
- 2- संचालक चिकित्सा शिक्षा म०प्र०, मोपाल/चिकित्सा सेवायें म०प्र०, मोपाल ।
- 3- डा० श्रीमती वर्धा मुखर्जी स०एम०चि०, मु०ज०चि०, मोपाल की ओर सूचनायें ।

अधीक्षिका,  
मुल्तानिया जनाना चिकित्सालय, मोपाल ।

4.5.87

23

(N) P.13  
20

From :

Dr. (Mrs.) Varsha Mukerjee,  
Woman Asst. Surgeon,  
Sultania Zanana Hospital,  
BHOPAL (M.P.).

To,

Chief Medical Officer,  
SATNA (M.P.)

Sub: Payment of outstanding salary.

Sir,

1. Please refer to the Director of Medical and Health Service Letter No. 1/C/Call- 5/87 Dated 03 April '87 and office of the Joint Director Health, Rewa Division, Rewa letter No. / /86/ 3502-4 dated 15 May '87.
2. I once again beg to bring to your kind notice that no action has been taken at your end so far regarding payment of my salary from 1st Dec.'83 to 30th Nov.'85 and from 1st April '86 to 18th Jul.'86 despite clear instructions from the Directorate regarding drawing my salary against the vacancy at Civil Dispensary AMKUI, Distt. Satna.
3. In this connection please also refer to the office of the Superintendent, Sultania Zanana Hospital, Bhopal letter No. 2644-47/-1/87 dt. 5th May '87, vide which it has been certified that no salary has been ever drawn for the period mentioned in para 2 above.
4. It is once again reiterated that I am facing great financial hardship because of non payment of my salary and therefore I request you to kindly get the needful done at the earliest.

Your's faithfully,

Bhopal.

Dated : Dec.'87.

( DR. (Mrs.) VARSHA MUKERJEE )

Copy to :-

1. Director of Medical and Health Services Bhopal for information please.
2. Joint Director Health Rewa Division, Rewa M.P. for information please. You are requested to once again issue necessary instructions to CMO Satna for their necessary action.
3. Office of the Superintendent, Sultania Zanana Hospital, Bhopal.. Please submit my last pay certificate and relevant documents regarding my salary to CMO Satna for their further necessary action.

V. Mukerjee  
( DR. VARSHA MUKERJEE )

24

PK  
21

कार्यालय अधीक्षक,  
तुलतानिया जनाना चिकित्सालय,  
मोपाल ।

क्रमांक 7227-30  
स्था-1/87.

दिनांक 9-12-87.

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं,  
स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला ताला म.प्र.।

विषय:- डाक्टर कीमती वर्मा मुखर्जी, महिला सहायक राज्य चिकित्सक, तुलतानिया  
जनाना चिकित्सालय मोपाल के वेतन आहरण करने का मत अनुमति ।

तत्त्व:- संयुक्त संयोजक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा संमान रीवा के पत्र क्रमांक स्था/0/  
वि0887/8501 दिनांक 15-1-87. ।

उपरोक्त विषय एवं तत्त्व में यह है, कि डा0 कीमती वर्मा मुखर्जी, महिला  
सहायक राज्य चिकित्सक, तुलतानिया जनाना चिकित्सालय मोपाल को दिसम्बर 1984  
30 नवम्बर 1985 और 1 अगस्त 1986 से जुलाई 86 तक कुल 15 माह 18 दिन का  
वेतन आहरण करने के लिए आपको आदेशित किया गया है, लेकिन अभी तक इस संबंध  
में कोई कार्यवाही नहीं की गई, कृपया डा0 वर्मा मुखर्जी का वेतन आहरण इस चिकित्  
सालय को भिजवाने का कष्ट करें ताकि उपरोक्त अधिकारी को आर्थिक कठिनाई का ता  
न उठाना पड़े ।

अधीक्षक,  
तुलतानिया जनाना चिकित्सालय, मोपाल

प्रतिलिपि:-

- 1- संयोजक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. मोपाल की ओर सुपनार्थ ।
- 2- संयुक्त संयोजक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा संमान रीवा मध्य प्रदेश की ओर  
सुपनार्थ ।
- 3- डा0 कीमती वर्मा मुखर्जी, महिला सहायक राज्य चिकित्सक, तुलतानिया  
जनाना चिकित्सालय मोपाल की ओर सुपनार्थ ।

अधीक्षक,

तुलतानिया जनाना चिकित्सालय,  
मोपाल ।

25

P.15

(P) 21

कार्यालय सहायक सचालक स्वास्थ्य सेवाये रीवा सम्भाग रीवा (म०प्र०)  
कमाकास्था०।वि०।म०।

रीवा विनाक

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला अस्पताल (म०प्र०)

विषय:-

डा० श्रीमती बर्णा मुक्ती महिला सहायक सत्य चिकित्सक  
पुल्लानिया जनाना चिकित्सालय भीपाल के वेतन वाहरण  
के सम्बन्ध मे ।

सन्दर्भ:-

इस कार्यालय का पत्र कमाक ३५०९ दिनांक १५-५-८७ ।

-----::-----

उपरोक्त विषयान्वित अधीकार पुल्लानिया जनाना चिकित्सालय  
भीपाल ने अपने पत्र कमाक ७२२७-३० दिनांक १-१-८७ द्वारा अवगत कराया है कि  
डा० श्रीमती बर्णा मुक्ती के १५ माह १८ दिनों के वेतन वाहरण करने के सम्बन्ध मे  
इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा बापकी अनुमति दी जा चुकी है परन्तु बाप द्वारा  
अभी तक उन त प्रकरण मे कोई कार्यावाही नहीं की गई है ।

अतः उक्त सम्बन्ध मे पुनः उल्लेख किया जाता है कि डा० श्रीमती  
बर्णा मुक्ती का उक्त कमाक अधीकार का वेतन सहायक सत्य चिकित्सक के तौर त पद  
से नियमानुसार वाहरण कर भुगतान करने की शीघ्र कार्यावाही करे, तथा की गई  
कार्यावाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावे ।

सहायक सचालक,  
स्वास्थ्य सेवाये रीवा सम्भाग  
रीवा (म०प्र०)

कमाकास्था०।वि०।म०। 39-42 रीवा विनाक 1-1-88

प्रोत्तलिपि:-

- १:- सचालक चिकित्सा सेवाये म०प्र० भीपाल की और सूचनार्थ ।
- २:- अधीकार पुल्लानिया जनाना अस्पताल म०प्र० भीपाल की और सूचनार्थ ।
- ३:- डा० श्रीमती बर्णा मुक्ती महिला सहायक सत्य चिकित्सक  
पुल्लानिया जनाना अस्पताल म०प्र० भीपाल की और सूचनार्थ ।

No 316  
12-1-88

सहायक सचालक,  
स्वास्थ्य सेवाये रीवा सम्भाग  
रीवा (म०प्र०)

अतिरिक्त:-

डा० श्रीमती बर्णा मुक्ती महिला सहायक सत्य चिकित्सक  
पुल्लानिया जनाना अस्पताल म०प्र० भीपाल की और सूचनार्थ ।  
अधीकारिका

From

Dr. (Smt) Varsha Mukherjee,  
Assistant Surgeon,  
Sultania Zanana Hospital,  
Bhopal.

To

The Chief Secretary,  
Government of Madhya Pradesh,  
Bhopal

Subject: Non-disbursement of salary for 15 months & 18 days.

Sir,

I beg to state as follows:-

1. that I was posted to Civil Hospital, Morar, Gwalior, w.e.f. 1st September, 1984 to 18th July, 1986.
2. that I was not paid my salary for the periods, 1st December, 1984 to 30th November, 1985 and again from 1st April, 1986 to 18th July, 1986, till I was relieved on transfer to Sultania Zanana Hospital, Bhopal.
3. that ever since my salary disbursement was stopped by the hospital authorities, I represented to them for arranging payment, but to no avail.
4. that I represented to the Director of Medical and Health Services, M.P., Bhopal, about half a dozen times, which brought about the issue of number of letter to the subordinate offices, but the salary still remains to be disbursed.

I earnestly request you to intervene so that my salary for 15 months and 18 days for the years 1984-85 and 1985-86 is disbursed to me without further delay. I have been forced to take recourse to this extreme step, as letters to the Director, Medical and Health Services and personal representations to him have failed to bring any results.

Yours faithfully,

Bhopal 30<sup>th</sup> April 1988  
Dated 10th October, 1987

Sd (Dr. (Smt) Varsha Mukherjee)

Copy for information and necessary action :

- i) The Secretary to Govt., Medical & Health Services, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.
- ii) The Director, Medical and Health Services, M.P. Satpura Bhawan, Bhopal.
- iii) The Superintendent, Sultania Zanana Hospital, Bhopal.

(Dr. (Smt) Varsha Mukherjee,  
Assistant Surgeon, Sultania Hospital,  
Bhopal.

(2)

17

(R) 24

संयोजनार्थक सेवाएं  
अध्यक्ष

क्रमांक 1-जी/सेल-1/88/  
प्रति,

0230-4) भोपाल, दिनांक 21-7-88

अधीक्षक,

मुक्तानिधा जनाना चिकित्सालय,  
भोपाल ।

विषय:- डा. श्रीमती वर्धा मुर्जी, महिला सहायक शल्य चिकित्सक के प्रसिद्ध-  
दिनांक 1.12.84 से 30.11.85 तथा 1.4.86 से 18.7.86 तक के प्रसिद्ध  
अवधि के वेतन बायत ।

== 0 ==

उपर्युक्त विषय पर इस संयोजनार्थक के पत्र क्रमांक 1-जी/सेल-1/88/  
दिनांक 4.5.88 के तारतम्य में निर्देशित किया जाता है कि वेतन आहरण करने  
के लिए आवश्यक वे डाटा मय अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी, तत्तना की ओर भेजे तथा डा. श्रीमती वर्धा मुर्जी से अंडरटेकिंग लिया  
जाय कि दिनांक 1.12.84 30.11.85 तक तथा 1.4.86 से 18.7.86 तक की  
अवधि में उनके द्वारा कोई अवकाश (आपस्मिक अवकाश को छोड़) नहीं लिया गया है।  
यदि वेतन शुभतान करने पर किसी कारण से अधिक शुभतान करना पाया जाता है तो  
अधिक राशि को वापिस जमा करावेगी ।

आ/स  
हृते संयोजक चिकित्सा सेवाएं  
अध्यक्ष  
21/5

28

P.18

5

25

आचार्य अशोक  
सुल्तानियां जमाना विधिकरण भोपाल

क्रमांक 2882-83/स्था-1/33/

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 88

प्रति,

✓ डा. श्रीमति वजा सुजो  
सुल्तानियां जमाना विधिकरण  
सुल्तानियां जमाना विधिकरण  
भोपाल।  
=====

विषय :- डा. श्रीमति वजा सुजो, सुल्तानियां जमाना विधिकरण में  
दिनांक 1.12.84 से 30.11.85 तथा 1.4.86 से 13.7.86 तक  
के अवधि के वेतन प्राप्त।

उपरोक्त विषय में लेख है कि संलग्न विधिकरण सेना में के  
वादेशानुसार वाप बन्कर टेकिंग भरार में कि दिनांक 1.12.84 से 30.11.85  
तक तथा 1.4.86 से 13.7.86 तक की अवधि में वापके द्वारा जोर्न वजा  
सुल्तानियां जमाना जौड़नी वाली सेवा रहा है। कि यदि वेतन भुगतान  
करने पर किसी कारण से संबंधित भुगतान करना जाता जाता है तो अधिक  
राशि जो वापिस प्राप्त करायेगी ऐसा बन्कर टेकिंग का जवाब में सुन्त  
प्रस्तुत करें ताकि वेतन वाकरण के लिये जरूरतों की जा सकें। और  
संलग्न विधिकरण सेना में भी अवगत कराया जा सकें।

*K. S. S.*  
अधीक्षक  
सुल्तानियां जमाना विधिकरण  
भोपाल.  
2/5-88

प्रतिवेप :-

1- संलग्न विधिकरण सेना में म.प्र. भोपाल में और सूनाई।

अधीक्षक  
सुल्तानियां जमाना विधिकरण  
भोपाल.

(29)

P-19

(T) 26

कार्यालय संयुक्त तालुका स्वास्थ्य सेवायें रीवा सम्भाग रीवा (म०प्र०)

स्वास्थ्य विभाग

रीवा, दिनांक

24.9.11

237828

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं

स्वास्थ्य अधिकारी

रीवा (म०प्र०)

विषय:-

डा० श्रीमती वणी कुमारी भविष्य सह राज्य चिकित्सक  
पुलवानिया काना जलवाह मापल के वेतन बाहरण के सम्बन्ध

सन्दर्भ:-

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म०प्र० मापल के पत्र क्रमांक १००/१०००  
म०प्र० २२२७-२९ मापल दिनांक ४-५-८८।

-----

उपरोक्त विषय में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म०प्र० मापल के  
सम्बन्धी पत्र का बमलोकन करने का अष्ट करें। डा० श्रीमती वणी कुमारी का वेतन  
वेतन बाहरण करने के लिए इस कार्यालय द्वारा दिनांक १०-१२-८६ में रैत किया  
जा रहा है, जोर इसके बाद बनेक स्मरण पत्र की आपका भेजे गये - परन्तु आप  
द्वारा अभी तक उनका वेतन बाहरण नहीं किया गया जो कि बहुत ही बुरा अनुभव  
है इस सम्बन्ध में संचालक चिकित्सा सेवायें म०प्र० मापल ने भी उपरोक्त सम्बन्धी  
पत्र द्वारा बहुत रोष प्रकट किया है।

का: मुन: लेव किया जाता है कि उपरोक्त पत्र में के मन्तव्यकार  
उक्त कतिपय का वेतन बाहरण कर उन्हें नियमानुसार शीघ्र हलान करने को कार्यवाही  
करें।

बोला है कि स्मरण पत्र की आवश्यकता न होगी। साथ ही यह भी  
अवगत कराये कि अब तक बाहरणन करने की ज्यादा कार्रवाई तथा इसके लिए कौन  
दोषी है ताकि सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।

संयुक्त तालुका,  
स्वास्थ्य सेवायें रीवा सम्भाग  
रीवा (म०प्र०)  
रीवा दिनांक 17-5-80

स्वास्थ्य विभाग

2727-29

संचालक चिकित्सा सेवायें म०प्र० मापल की कोर सूच नार्थ।

डा० श्रीमती वणी कुमारी भविष्य सह राज्य चिकित्सक, पुलवानिया  
काना जलवाह मापल की कोर सूच नार्थ।

संयुक्त तालुका,  
स्वास्थ्य सेवायें रीवा सम्भाग  
रीवा (म०प्र०)

६१  
२२/११



કાર્યાલય અધીક્ષિકા,  
ગુજરાતીય મહિલા વિદ્યાલય.

કોમ્પ્લેટ 3389 સ્વ. 1/28 કોમ્પ્લેટ 25-5-68

પાલેસીયા-

શ્રી કોમ્પ્લેટ લક્ષી મુલ્કો, માટેના સહાયક શાળા  
વિદ્યેશી સભ્ય, સુલતાનપુર. ગામના વિદ્યેશી (માલક)  
મોપાલ ને રોડે સુચનાઈ

અધીક્ષિકા,  
ગુજરાતીય મહિલા વિદ્યાલય,  
ગોલક.

WFS  
5/10/99

36

P20

U

28

From ,  
Dr. (Mrs.) Varsha Mukerjee ,  
Lady Assistant Surgeon ,  
Sultania Zanana Hospital ,  
Bhopal .

To  
The Superintendent ,  
Sultania Zanana Hospital ,  
Bhopal .

Subject : Non payment of Salary to the undersigned for the period from  
1-12-84 to 30-11-85 and 1-4-86 to 18-7-86 .

Ref'nce : Your No: 2882-83 / E-1 / 88 dated 5-5-1988 .

Madam ,  
With reference to your letter under reference I have to state  
as follows :

1. that I have not been paid the salary for the period from 1-12-84 to 30-11-85 and from 1-4-86 to 18-7-86 , when I was posted at the Civil Hospital , Morar Gwalior . This is shown in the last pay certificate issued by the Civil Surgeon, Gwalior, which was submitted by me in original when I joined at Sultania Zanana Hospital, Bhopal.
2. that during the above period, I had not availed any other type of leave except casual leave .
3. that I am giving an undertaking that if it is found at any later date after the salary for the above period is disbursed to me , that I have been over-paid, I shall be ready to refund the same .

I am unable to understand why these points are being raised , when the L.P.C. and the Service Book are the conclusive proof of the non payment of the salary and the leave account and both are in your office.

Yours faithfully ,

V. Mukerjee .

Bhopal  
Dated 7th. June 1988.

( Dr. (Mrs) Varsha Mukerjee )

(3)

(V)

P21

29

कार्यालय अधीक्षिका,  
तुल्लानिया जनाना चिकित्सालय,  
भोपाल ।

क्रमांक 3850-53/स्था-1/88.

दिनांक 14-6-88.

प्रति,

उपसचिव,  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  
विभाग मध्य प्रदेश  
भोपाल ।

विषय:- डा० श्रीमती वर्मा मुकुर्जी, महिला सहायक शाल्य चिकित्सक,  
तुल्लानिया जनाना चिकित्सालय भोपाल को 15 माह से वेतन प्राप्त  
न होने बाबत ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3087/3469/17/मेडि-1/88 दिनांक 9.6.88.

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में डा० श्रीमती वर्मा मुकुर्जी, महिला  
सहायक शाल्य चिकित्सक ने तुल्लानिया जनाना चिकित्सालय भोपाल में दिनांक  
23.7.86 से कार्य भार ग्रहण किया है । तब से उन्हें नियमित रूप से वेतन मिल रहा  
है । वर्मा मुकुर्जी की पदस्थापना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर  
के अधीन हुई थी । वह दिनांक 1.9.84 से मेडिकल आफिसर इंदौर सिविल अस्पताल  
मुरार में कार्य कर रही थी । वहाँ पर 1.9.84 से 30.11.84 तक तीन माह का  
वेतन प्राप्त हुआ है । दिनांक 1.12.84 से 30.11.85 और दिनांक 1.4.86 से  
18.7.86 कुल 15 माह 18 दिन का वेतन आहरण करने हेतु संयुक्त संचालक  
स्वास्थ्य सेवाएँ मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ  
रीवा संभाग रीवा को पत्र क्रमांक 1/जी/सि-5/87/1143-45/87 दिनांक 31.3.87  
द्वारा जिला सतना में एक रिक्त पद पर वर्मा मुकुर्जी के वेतन आहरण करने हेतु लिखा  
गया था ।

संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र. रीवा संभाग रीवा म.प्र. के  
पत्र क्रमांक/स्था/वि./87 ईडन/3502-04 दिनांक 15.5.87 द्वारा मुख्य चिकित्सा  
एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना को वेतन आहरण करने के लिए आदेशित  
किया गया था ।

इस कार्यालय द्वारा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7227-30/स्था-1  
/87 दिनांक 9.12.87 से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना को  
वर्मा मुकुर्जी के वेतन आहरण के लिए लिखा गया था । और पत्र क्रमांक 2888-88-222

32

30

पृष्ठ ..... 2 ....

2880-81/स्था-1/88 दिनांक 5.5.88 को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना को भेजा गया है, कि वह विल बनाकर इस कार्यालय को भेजे लेकिन अभी तक विल बनाकर इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- संदर्भ:-
- 1। तयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश भीषाल के पत्र की फोटो कापी।
  - 2। तयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. बोम्बे-के-पत्र रीवा के पत्र की फोटो कापी।
  - 3। इस कार्यालय के पत्र की फोटो कापी।

अधीक्षक,  
सुल्तानिया जनाना चिकित्सालय,  
भीषाल।

प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भीषाल की ओर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2880-81/स्था-1/88 दिनांक 5.5.88 के तारतम्य में डा. श्रीमती वर्षा मुखर्जी, महिला सहायक शाल्य चिकित्सक ने अन्दर डेकिंग भरकर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है।
- 2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना की ओर आवश्यक कार्यावाही हेतु अग्रेषित।
- 3- डा. श्रीमती वर्षा मुखर्जी, महिला सहायक शाल्य चिकित्सक सुल्तानिया जनाना चिकित्सालय भीषाल की ओर सूचनार्थ।

अधीक्षक,  
सुल्तानिया जनाना चिकित्सालय,  
भीषाल।

14-6-88



P22

(W)

31

संवातनालय स्वास्थ्य सेवाये  
मध्य प्रदेश

क्रमांक: ६: तारा: ८२:  
प्रति

भीषात, विनांक

प्राचार्य,  
स्वास्थ्य एवं प.क.प्रविक्षात केन्द्र,  
स्वातिपर .

विषय:

संदर्भ:

डा:भीमती: वरुण सुवर्णी, उपायक सत्य विक्रितक का वेतन बाहर  
बापका पुष्पांकन क्रमांक १२११ दिनांक १८:७:८८ अंतिम वेतन पत्रक  
जी है प्रवक्षीवाक, सुतनामिना जनाना विक्रितवातय, भीषात की  
जारी किया गया है .

डा:भीमती: वरुण सुवर्णी, उपायक सत्य विक्रितक के पद पर प्रवक्षीवाक  
स्वातिपर मे मुख्य विक्रितवा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के बाधनीन कार्यरत थी .  
वे वरुण सुवर्णी को जाने के कारण उनका स्वानांतरण भीषात कर दिया गया है .  
बापके उपरोक्त अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी मुख्य विक्रितवा एवं  
स्वास्थ्य अधिकारी, स्वातिपर उदारा दिनांक १७:११:८८ : १० नवंबर ८८ तक  
सुगताम किया गया है व अंतिम वेतन प्रमाण पत्र बापकी किया है .

१. उनका ११:११:८८ से १०:११:८८ तक का वेतन सी.एम.जी.सतना है .
२. दिनांक ११:११:८८ से दिनांक ११:११:८८ तक बापके उदारा तथा
३. दिनांक ११:११:८८ से १८:७:८८ तक का वेतन सी.एम.जी.सतना है  
बाधरित करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है .

उपरोक्त बाधनी के पासन मे बाधनी सी.एम.जी.स्वातिपर मे प्राप्त  
अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के पत्र के आधार पर वेतन का बाधरित कर दिया है तथा  
अंतिम वेतन प्रमाण पत्र ११:११:८८ रु. १००० एवं प्रमाण मी स्तति देने जारी कर  
दिये हैं . इस प्रमाण पत्र मे बाधनी अंतिम किया है कि सी.एम.जी.स्वातिपर के  
अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर वेतन बाधरित किया गया है और उन्हे  
नवंबर ८८ तक का सुगताम हो चुका है . जबकि अंतिम वेतन प्रमाण पत्र मे इस  
प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है . अंतिम वेतन प्रमाण पत्र मे केवल  
मिड कार्यालय उदारा मिड कार्यालय के अंतिम दिन तक वेतन का बाधरित किया  
गया है मात्र अंतिम किया जाता है .

क्रमांक १ एवं २ पर उल्लेखित बाधनी वेतन केवक सी.एम.जी.सतना  
कार्यालय से बाधरित या हुये हैं. कोनालय अधिकारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्रवक्षीवाक  
करने हेतु बापकी उठाई है . डा: मिदन तिजित अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्रवक्षीवाक  
इस कार्यालय की मेम जी तभीवाक सुतनामिना जनाना विक्रितवातय, भीषात  
की जारी किया गया है .

१. सी.एम.जी. स्वातिपर उदारा अंतिम वेतन १०:११:८८ तक सुगताम  
स्तति देने .
२. बापके कार्यालय से अंतिम वेतन दिनांक ११:११:८८ तक सुगताम स्तति  
दिये .

34

32

११

इसके वेतन ध्येय के साथ उपरोक्त वेतन वेतन प्रमाण पत्र संलग्न कर  
कोषालय, भीषात में प्रस्तुत करना है . जतः प्रकर को प्राथमिकता देना जाय  
पर स्वरित कार्यवाही करें व इस संवातनालय को सूचित करें .

सेवा अधिकारी  
कोषालय विनिर्देश सेवाये  
मध्य प्रदेश

क्रमांक: १: सेवा: ५२८०-८२ भीषात, दिनांक ११/५/८९  
प्रतिनिधि सुवर्णार्थ से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

१. मुख्य विनिर्देश से स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वातिपर की वीर वेतन  
वेतन प्रमाण पत्र दिनांक १०/११/८७ तक स्वीकृति देने के लिये हेतु .
२. अधिकारी, सुवर्णार्थ बनाना विनिर्देशात्मक, भीषात की वीर धनकर  
मिष्टि दिये जाते हैं कि सुवर्णार्थ, स्वास्थ्य से परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र,  
ग्वातिपर से प्राप्त वेतन वेतन प्रमाण पत्र को प्रविष्टि वाचिस करें व इस संवात  
नालय को सूचित करें .
३. डा. जीमती: बर्णा सुवर्णार्थ, उहायक हत्य विनिर्देशक, बर्णा प्रकाश  
विनिर्देशात्मक, भीषात की वीर सुवर्णार्थ .

सेवा अधिकारी  
कोषालय विनिर्देश सेवाये  
मध्य प्रदेश



P-23

Hospal Buxar the 15th Feb. '86.

(X) 33

From,  
S. Hospital,  
Indra, Buxar,  
C.P., Pincode 462 016.

To,

1. The Secretary to Government,  
Public Health & Family Welfare Department,  
Madhya Pradesh,  
Bhopal.
2. The Director of Medical Services,  
Public Health & Family Welfare Department,  
Satpura Bhawan,  
Bhopal.
3. Chief Medical & Health Officer,  
District Gwalior,  
Gwalior, M.P.
4. Divisional Joint Director of Medical Services,  
Bera Division,  
Bera, M.P.
5. Chief Medical Officer,  
District Satna,  
Satna, M.P.

NOTICE UNDER SECTION 50 C.P.C.

Under instructions from my client (Mrs.) Varsha Kherjee, my Assistant Surgeon, posted at Sat Prakash Kherjee Hospital, Buxar, M.P., I have to serve you with a notice as follows, and call upon you to pay a sum of Rs. 35,736.00 towards her salaries due since 1-1-84 with simple interest @ 12% per annum. The facts leading to the notice are as follows:

1. That (Mrs.) Varsha Kherjee was appointed as an Assistant Surgeon in the M.P. Health Service (Class 2) on a basic salary of Rs. 1000 per month and was placed in the Scale of Rs. 1000-1700 vide direction, Medical Services, Bhopal order No. 1111-2/1357 dated 21-1-84. She joined service at Buxar Civil Hospital on 1-7-84.
2. That her salary for the period 1-1-84 to 30-11-85 and 1-1-86 to 13-7-86 had not been disbursed to her, when she was transferred and relieved by the Chief Medical & Health Officer, Gwalior vide his letter No. 1111/367/326 dated 18-7-86, to join duty at Subania Kherjee Hospital at Bhopal. Intimation about the non payment of salary was given to the Director, Medical Services, Bhopal vide my client's letter dated 23-1-86.
3. That the Director of Medical Services directed the Joint Director Medical Services, Bera Division to arrange for the disbursement of salary for 15 months and 18 days to my client vide his letter No. 1111/367/326 dated 31-1-86. Joint Director, Bera was also reminded vide

36

34

Letter No: 1-6/Cell-5/87/1143-45-T dated 31-3-87, even then the salary could not be disbursed to my client. The Joint Director, Medical Services Ram had in turn directed the Chief Medical Officer, Satna to pay the salaries to my client.

4. That thereafter lengthy correspondence had been going on amongst the various officers of the Department, but no concrete results had been achieved and my client continues to be deprived of her legitimate dues. My client wrote to the Chief Medical Officer, Satna vide letter dated 1-12-87 but to no avail. Number of reminders were sent to the Chief Medical Officer, Satna by the Superintendent, Sattaria Zamana Hospital, Chapal and the Director of Medical Services, B.P., Chapal, but these also could not get the salaries disbursed till today.
5. That a representation was submitted to the Chief Secretary to the Govt. of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh vide my clients letter dated 30-4-88, with copies to the Secretary of the Department, Director of Medical Services etc. even then no action has been taken by the officers concerned to pay the salary to my client.
6. That the Chief Medical Officer, Satna was reminded by the Joint Director, Medical Services, Ram Division vide his No: 2727-89 dated 17-5-88, even then he has not bothered to take any action to relieve my client from the hardship she had been facing all these years.
7. That the Superintendent, Sattaria Zamana Hospital, Chapal wrote to the Deputy Secretary, Public Health & Family Welfare Department vide her letter No: 3850-53/E-1/88 dated 14-6-88 and the Director of Medical Services vide his letter No: 5280-82 dated 11-5-89 to the Principal, Health and Family Welfare Centre, Gullian. In spite of all the lengthy correspondence the salary of my client still remains to be paid to her even after 4 years after my client having been relieved from Gullian on 18-7-86 A.B.
8. That my client is entitled to be paid the following amounts towards her salary with interest at 12 % per annum:

Period	Pay	D.A.	CCA	HRA	Total
1-12-84 to 31-12-84	1000	400	25	75	1500
1-1-85 to 30-11-85	11000	4400	275	825	16900
1-12-85 to 30-6-86	3000	1200	75	225	4500
1-7-86 to 18-7-86	580.65	232.25	14.50	43.55	870.95
Total Salary					23370.95



37

35

- 3 -

B.F. Rs. 23370.95

Interest at 12 % per annum on the above amounts

- (a) On Rs. 1500 from 1-1-85 to 31-1-90 : 5 years 1 month : Rs. 915  
(b) On Rs. 16500 from 1-1-85 to 30-11-85 : Average 5 1/2 months  
and 1-12-85 to 31-1-90 : and 8 years 2 months : Rs. 9157.50  
total 4 years 7 1/2 m.  
(c) On Rs. 4500 from 1-1-86 to 30-6-86 : Average 1 1/2 months  
and 1-7-86 to 31-1-90 : and 3 years 6 months  
total 3 years 7 1/2 m. : Rs. 1957.50  
(d) On Rs. 871 from 1-8-86 to 31-1-90 : 3 years 5 months : Rs. 357.10  
Total Interest @ 12 % per annum : Rs. 12387.10

Grand Total of the salaries and interest due upto 31-1-90 : Rs. 35758.05

9. That in case the above amount of Rs. 35,758.05 (Thirty Five thousand seven hundred fifty eight) is not paid to my client within a period of two months, alongwith Rs. 1000.00 as the cost of this notice, my client will have no other alternative except to file a suit for recovery of the above amount with further interest, or if necessary approach the Hon'ble Administrative Tribunal, Jabalpur to intervene and settle the claim with costs. In that case you will all be individually and collectively responsible for the consequences and the costs.

Yours faithfully,

SL  
15/2/90  
(Jagdish)

38

(P-23)

36

प्राप्ति स्वीकृति (रसीद) ACKNOWLEDGMENT

रजिस्ट्री  
बोमा पत्र/पोस्टकार्ड/पैकेट/पार्सल प्राप्त हुआ क्रमांक/No.

Received ☒ Registered Letter/Postcard/Packet/Parcel  
☐ Insured

पाने वाले का नाम  
Addressed to (name)

The Secretary to Government  
Public Health & Family  
Welfare Department  
Madhya Pradesh  
Bhopal

ईंशुमि का मूल्य (रुपयों में)  
Insured for Rupees

उत्तरदायी की तारीख/Date of delivery..... 193

हस्ताक्षर को माँट दिया जाए

\*Score out the matter not required.

केवल बीमा वस्तुओं के लिए। पाने वाले के हस्ताक्षर/Signature of Addressee

For insured articles only.

प्राप्ति स्वीकृति (रसीद) ACKNOWLEDGMENT

रजिस्ट्री  
बोमा पत्र/पोस्टकार्ड/पैकेट/पार्सल प्राप्त हुआ क्रमांक/No.

Received ☒ Registered Letter/Postcard/Packet/Parcel  
☐ Insured

पाने वाले का नाम  
Addressed to (name)

Director Medical Services  
Public Health & Family Welfare  
Madhya Pradesh  
Safarpura Bhandan  
Bhopal

ईंशुमि का मूल्य (रुपयों में)  
Insured for Rupees

उत्तरदायी की तारीख/Date of delivery..... 193

हस्ताक्षर को माँट दिया जाए

\*Score out the matter not required.

केवल बीमा वस्तुओं के लिए। पाने वाले के हस्ताक्षर/Signature of Addressee

For insured articles only.

प्राप्ति स्वीकृति (रसीद) ACKNOWLEDGMENT

रजिस्ट्री  
बोमा पत्र/पोस्टकार्ड/पैकेट/पार्सल प्राप्त हुआ क्रमांक/No.

Received ☒ Registered Letter/Postcard/Packet/Parcel  
☐ Insured

पाने वाले का नाम  
Addressed to (name)

Chief Medical Officer  
Dist. Satna  
Satna M.P.

ईंशुमि का मूल्य (रुपयों में)  
Insured for Rupees

उत्तरदायी की तारीख/Date of delivery..... 193

हस्ताक्षर को माँट दिया जाए

\*Score out the matter not required.

केवल बीमा वस्तुओं के लिए। पाने वाले के हस्ताक्षर/Signature of Addressee

For insured articles only.

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर  
क्रमांक/कोट/90/ 5001 ग्वालियर, दिनांक 16-5-90

प्रति,

श्री एस. नागाईय,

एडवोकेट,

ई/2/8, अरेरा कालोनी,

मोपाल 2 462016

विषय :- नोटिस 80 सी.पी.सी. डा. श्रीमती वर्मा मुखर्जी महिला सहायक  
आय चिकित्सक के देखे केस का संबंध ।

संदर्भ :- आपका नोटिस दिनांक 15.2.90 .

-:::-

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि डॉ. श्रीमती वर्मा मुखर्जी  
महिला सहायक आय चिकित्सक को इस कार्यालय से संबंधित अध्यापि में कोई भी  
वेतन एवं भत्तों का भुगतान नहीं किया जाना है । विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है

1. श्रीमती वर्मा मुखर्जी इस कार्यालय के अधिनस्थ सि.डा. मुरार में  
दिनांक 1.9.84 को अपने कार्य पर उपस्थित हुई थी । इस कार्यालय के अधिनस्थ  
कोई पद रिक्त न होने के कारण यह अतिशेष थी ।

2. श्रीमती मुखर्जी को नियमानुसार अतिशेष अध्यापि का दिनांक 1.9.84  
से दिनांक 30.11.84 तक का वेतन इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया गया था ।

3. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1885-92  
दिनांक 6.2.86 के पालन में डा. श्रीमती वर्मा मुखर्जी का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र  
इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2536-39 दिनांक 20.2.86 द्वारा स्वास्थ्य एवं  
परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर की ओर भेजा गया था ।  
दिनांक 1.11.84 से आहरण करने हेतु अंतिम वेतन प्रमाण पत्र भेजा गया था ।

अतः उक्त 80 सी.पी.सी. का नोटिस का इस कार्यालय में कोई  
संबंध नहीं है ।

कृपया आप संबंधित कार्यालयों से पत्र व्यवहार करने का कष्ट करें ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला ग्वालियर



(2)

P-25

38

Bhopal dated 10th. February 1986.

From,

Dr. (Mrs) Vansha Mahajan,  
Lady Assistant Surgeon,  
Jai Prakash Hospital,  
Bhopal.

care of Shri. S. K. Singh,  
E-2/8, Karm Colony,  
Bhopal - 462 016.

To,

His Excellency the Governor of Madhya Pradesh,  
Raj Bhawan,  
Bhopal.

Subject: Disbursement of salary for 28 months & 18 days.

Your Excellency,

Having failed to move the State Government over a long  
lengthy correspondence during the last so many years, the applicant is  
taking this last chance to get redressal of the long standing grievance.  
The applicant has not been paid her salary from 1-12-84 to 30-11-85, from  
1-8-86 to 18-7-86 and from 1-4-87 to 30-4-88 (total 28 months and 18 days).  
The history of the case is as under:

1. That the applicant was appointed as Lady Assistant Surgeon in the B.P.  
Health Services (Class II) on a basic pay of Rs. 1,000/- per month  
and was placed in the Scale of Rs. 1000 - 1920 vide Director, Medical  
Services, Bhopal order No. G/Cell-2/Admn/84/18504 dated 22-8-84.  
The applicant was posted at Civil Hospital, Bhopal, Madhya Pradesh. The applicant  
joined the service at Bhopal on 1-9-84.
2. That the salary for the period 1-12-84 to 30-11-85 and 1-8-86 to 18-7-86  
had not been disbursed on account of the non-availability of a post at  
Bhopal, Civil Hospital. The applicant was transferred and relieved by  
the Chief Medical Officer, Bhopal vide his relieving order No. E-1/86/9322-6 dated 18-7-86 and was directed to join duty at Subhaskar Zangra  
Hospital, Bhopal. Intimation about the non-payment of the salary for  
the above period was given to the Director Medical Services, Bhopal vide  
applicant's letter dated 23-10-86.
3. That the Director Medical Services, Bhopal directed the Joint Director,  
Medical Services, Bhopal Division, Bhopal to arrange for the disbursement  
of salary to the applicant for 28 months & 18 days vide his letter No. Jd/Cell-5/86/13758-60-G dated 3-10-86. The Joint Director, Medical  
Services, Bhopal in turn directed the Chief Medical Officer, Bhopal to pay

4. That even after lengthy correspondence between the officers of the department on one side and the applicant on the other, no concrete results have been achieved and the salary still remains undisturbed.

Following correspondence is relevant to the issue:

- (i) By letter to Chief Medical Officer dated 1-12-87.
- (ii) By representation to the Chief Secretary, Govt. of M.P. dated 30-6-88.
- (iii) Joint Director, Govt.'s reminder to Chief Medical Officer, Satna vide memo No. 2727-89 dated 17-5-88.
- (iv) Superintendent, Sultania Zangna Hospital, Satna vide No. 3850-53/1-1/88 dated 14-5-88 to Deputy Secretary, Public Health & Family Welfare Deptt. M.P.
- (v) Director, Health & Family Welfare Centre, Guntur vide letter dated 11-5-89.

In addition number of reminders were sent by the Director, Medical Services, Bhopal and Superintendent, Sultania Zangna Hospital, Bhopal to the Chief Medical Officer, Satna but to no avail.

5. That the applicant was again posted to Sultania Zangna Hospital, Bhopal on 1-4-91 for completing post graduate diploma in D.D.S. for one year. The applicant after completion of the course was allowed leave there on 30-6-92. The salary for the period 1-4-91 to 30-6-92 (13 months) has again not been disturbed.
6. That the Chief Medical Officer, Guntur while sending the Last Pay Certificate to the Sultania Zangna Hospital had clearly stated therein that the salary pertaining to the posting at Guntur had not been disturbed. Similarly the Superintendent, Sultania Zangna Hospital while relaying the applicant must have issued the Last Pay Certificate to the Chief Medical Officer, Jai Prakash Ramia Hospital, Bhopal on the basis of which further salary is being disturbed.
7. That being a Union Assistant Surgeon, the applicant is employed in moving from office to office and pursuing the case, on account of which it has not been possible to get the salary disturbed for so long. The disbursement of salary has caused untold hardships during the last so many years in addition to the mental agony and tension. The petitioner is being made with the fervent hope that the Govt. of the State will be able to do something to narrow down these bureaucratic delays.

Yours faithfully,

U. Prabhakar  
(Dr. (B.S.) Venkatesh Kumar)  
Union Assistant Surgeon

Copies to:

1. Secretary to Government, Public Health & Family Welfare Deptt. M.P.
  2. Director, Medical Services, Public Health & Family Welfare Deptt. M.P.
  3. Chief Medical Officer, Jai Prakash Ramia Hospital, Bhopal.
- for information and necessary action.

GA

P25

XA

40

Bhopal dated 18th. April 2002 .

From ,  
Dr. Varsha Mukerjee ,  
Woman Assistant Surgeon ,  
Department of Public Health Services ,  
Satpura Bhawan ,  
Bhopal .

To ,  
The Health Commissioner ,  
Directorate of Health Services ,  
Madhya Pradesh .  
Satpuda Bhawan ,  
Bhopal .

Subject : Non-disbursement of salary of the undersigned for 28 months and 18 days .

Ref'nce : My representation to His Excellency the Governor of M.P. Dated 10-2-94 and to the Hon'ble Minister , Public Health Services , M.P. Dated 28-6-96 and to the Secretary to Government Department of Health Services , MP dated 5-12-97 .

Sir ,

That the undersigned has not been disbursed her salary from 1-12-84 to 30-11-85 , from 1-4-86 to 18-7-86 and from 1-4-91 to 30-4-92 (Total 28 months and 18 days ) mostly on account of the post not being available to draw the salary bill by the authorities under whom I was posted . Mention about the non-drawal of the salary for the above periods was made in the ' Last Pay Certificates ' also from time to time . After lot of prolonged correspondence a bill for drawing the salary was made out by the Director of Health Services but the same has not yet been cashed on account of some audit objections by the Treasury .

2. That after waiting for quite sometime for the action to be taken by the Directorate , a petition was submitted to His Excellency the Governor of Madhya Pradesh on 10-2-94 , copy of which was endorsed to all concerned and which had been acknowledged , but no action has been taken to draw the salary . Later a representation was also submitted to the Hon'ble Minister of Public Health Department on 28-6-96 but that also remained unreplyed .

3. That it is requested to kindly look into the case and get the salary of the undersigned disbursed at an early date for which the undersigned will ever remain grateful . The delay in disbursement of the salary has created lot of financial hardship already and may create further complications at the time of retirement .

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/लीगल/जेवीपी/2016/ पंजी -/438

भोपाल, दिनांक: /4/3/2016

## आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) अधिनियम संख्या -5 के आदेश के सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन शक्तियों को प्रयोग में करते हुए उप संचालक (कार्यालय स्थापना) स्थानीय कार्यालय, को उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. क्रमांक 14194/2007 डॉ. वर्षा मुकर्जी, प्रभारी उप संचालक, स्थानीय कार्यालय, जिला-भोपाल, विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में म.प्र.राज्य तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिकथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये तथा कार्य करने आवेदन करने उपस्थित होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र.विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य शर्तों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यूरो नीचे दिये हैं, निम्न लिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसे कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संदर्भ में महाधिवक्ता/शासकीय अभिवक्ता को सहायता पहुँचाने को संभालना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रिया पर विधि विभाग से परामर्श लिया गया था तो उस विभाग को राय भी रिपोर्ट में विनिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाए।
2. समस्त सुसंगत फाईल, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश आदि एकत्र करेगा।
3. वादपत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए जिससे कि शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचाने की सम्भावना है, ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता के संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करायेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-  
(क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।  
(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप  
(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनको प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।  
(घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों का प्रतियों जिसमें वाद सुनवाई की तारीख भी शामिल होनी चाहिए।

क्रमशः .... (2)

-2-

7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले, उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत करना।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है जब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिए विभाग को भेजेंगे।
10. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियों प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उनकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
11. जैसे हो उसके अपना स्थानांतरित आदेश प्राप्त होता है यह अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंपे देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
12. प्रभारी अधिकारी, मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर समय सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य को दस्तावेज अप्रति/छुपी हुई ना रह जाये।
13. प्रभारी अधिकारी कार्यदि लोग अभियोजन मुर्कर है तो जैसे ही वाद का विनिश्चय होता,परिवत्र की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार करेगा। निर्णय की एक प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
14. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुर्कर है तो यह बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के कम में पारित किए गए किसी अतिरिक्त आदेश का पुनरीक्षण अप्रेषित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतः एवं वह इस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किए जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय) विभाग को प्रेषित करे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

कृते / सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमशः --- (3)

क्रमांक / 4 / लीगल / जेवीपी / 2016 / पंजी-

भोपाल, दिनांक: / / 2016

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय जबलपुर, (म.प्र.)
- 2- संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर सम्भाग जबलपुर, म0प्र0।
- 3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, .....
- 4- प्रभारी अधिकारी- उप संचालक (कार्यालय स्थापना) स्थानीय कार्यालय, म.प्र. की ओर शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने, उपस्थिति प्रकरण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेट पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले के प्रगति की प्रति विभाग के साथ साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजने चाहिए। आवेदन प्रति इस विभाग के आवश्यक रूप से भेजी जाये। मामले का सुनवाई दिनांक ..... को उच्च न्यायालय जबलपुर में नियत थी/ है।

  
कृते / सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग